भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3077

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण हानियां

3077. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः
श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने हेतु क्या लक्ष्य तय किया गया है और इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार का पारेषण और वितरण हानियों को कम करने पर राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का संपूर्ण विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली के पुनरुद्धार और सशक्तीकरण हेतु कई करोड़ रुपये प्रदान करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कामों) का वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए नवंबर 2015 में उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) शुरू की तथा इस स्कीम के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2018-19 तक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है।

राज्यों द्वारा उदय पोर्टल पर डाले गये नवीनतम अनंतिम आकड़ों के अनुसार राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों में सुधार किया है जो वर्ष 2015-16 में 20.80 प्रतिशत से वर्ष 2017-18 में घट कर 18.76 प्रतिशत हो गया है।

एटीएण्डसी हानियों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुबंध** में दी गयी हैं।

(ख) से (ङ) : वितरण नेटवर्क में एटीएण्डसी हानियों को कम करने का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत विभाग/यूटिलिटियों का होता है। भारत सरकार ने राज्यों को उनकी वितरण अवसंरचना प्रणालियों तथा डिस्कामों के प्रबंधन में सुधार करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी विभिन्न स्कीमों की शुरूआत की है ताकि एटीएण्डसी हानियों को कम किया जा सके। एटीएण्डसी हानियों को कम करने के लिए आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई स्कीमों के अन्तर्गत परियोजनाओं में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सृजन/संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण अवसंरचनाओं का आईटी सक्षमीकरण सहित भूमिगत (यूजी) और एरियल बंच्ड (एबी) केबल इत्यादि परिकल्पित हैं।

आईपीडीएस एवं डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत, दिशानिर्देशों के अनुसार योजना लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) के रूप में वित्तपोषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के बीच सहमत ट्रेजेक्टरी के अनुसार एटीएण्डसी हानियों में एक स्तर तक कमी करने सहित विभिन्न माइलस्टोन को प्राप्त करने पर संस्वीकृत लागत का अतिरिक्त 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा, उदय के अन्तर्गत राज्यों के निष्पादन के आधार पर आईपीडीएस के अन्तर्गत एटीएण्डसी हानियों को कम करने सहित स्मार्ट मीटरिंग के लिए निधियां संस्वीकृत की गई हैं।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3077 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एमओयू लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016, वित्तीय वर्ष 2017, वित्तीय वर्ष 2018 और वित्तीय वर्ष 2019 के लिए एटीएंडसी हानि (उपलब्धि) का विवरण

क्रम सं.	मानदंड	यूनिट	उपलब्धि 2015-16 (बेसलाइन आंकड़े)	एमओयू लक्ष्य 2016-17	उपलब्धि 2016-17	एमओयू लक्ष्य 2017-18	उपलब्धि 2017-18
1	आंध्र प्रदेश	(% में)	9.41	9.26	10.96	9.00	8.69
2	अरुणाचल प्रदेश	(% में)	64.27	52.41	35.88	43.00	65.45
3	असम	(% में)	25.51	19.00	23.81	17.75	15.71
4	बिहार	(% में)	43.74	36.43	38.97	29.03	33.19
5	छत्तीसगढ़	(% में)	21.79	18.93	19.34	18.00	18.8
6	दादरा और नगर हवेली	(% में)	आंकड़े नहीं दिए गए	7.95	9.23	7.50	6.09
7	दमन और दीव	(% में)	13.25	10.33	10.65	9.32	10.34
8	गोवा	(% में)	17.12	18.75	16.79	16.59	16.12
9	गुजरात	(% में)	15.04	14.00	12.28	13.50	11.71
10	हरियाणा	(% में)	29.83	24.02	25.43	20.04	20.29
11	हिमाचल प्रदेश	(% में)	12.92	13.25	8.48	13.00	12.14
12	जम्मू और कश्मीर	(% में)	61.6	46.00	61.34	35.00	53.78
13	झारखंड	(% में)	34.71	28.00	31.8	22.00	31.78
14	कर्नाटक	(% में)	14.94	15.50	15.36	15.00	14.48
15	केरल	(% में)	16.03	11.45	17.28	11.23	12.05
16	मध्य प्रदेश	(% में)	23.97	21.15	26.53	19.15	29.74
17	महाराष्ट्र	(% में)	19.07	16.74	18.88	17.51	17.41
18	मणिपुर	(% में)	44.21	28.89	36.89	20.33	24.61
19	मेघालय	(% में)	36.48	32.51	34.87	27.50	34.64
20	पुडुचेरी	(% में)	19.88	19.00	18.98	15.00	19.56
21	पंजाब	(% में)	15.9	15.30	14.46	14.50	17.26
22	राजस्थान	(% में)	30.41	20.11	26.02	17.57	20.02
23	सिक्किम	(% में)	38.06	29.50	40.59	25.94	32.57
24	तमिलनाडु	(% में)	14.58	14.05	14.53	13.79	14.23
25	तेलंगाना	(% में)	13.95	12.45	15.88	11.19	13.5
26	त्रिपुरा	(% में)	20.94	30.00	16.61	25.00	15.52
27	उत्तर प्रदेश	(% में)	26.47	28.27	30.21	23.63	27.67
28	उत्तराखंड	(% में)	17.19	16.00	14.02	15.00	15.73
	उदय राज्यों का औसत	**(% में)**	**20.8**	**18.74**	**20.25**	**16.83**	**18.76**

(एंटीएंडसी हानियों के लिए उपर्युक्त आंकड़े उदय पोर्टल पर राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार अनंतिम/अलेखापरीक्षित आंकड़ों पर आधारित हैं)

******